## <u>न्यायालय – प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बालाघाट (म.प्र.)</u> पीठासीन अधिकारी—सूजीत कूमार सिंह

<u>व्य0वा0क 0-19ए / 2014</u> प्रस्तुति दिनांक-25.02.2013

- श्रीमती काशीबाई पित कन्हैयालाल, उम्र 45 वर्ष, जाति लोधी, निवासी ग्राम खोंगाठोला, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट।
- श्रीमती सम्पताबाई पति लखन, उम्र 42 वर्ष, जाति
   लोधी, निवासी ग्राम बोदा, तह0—जिला बालाघाट। ———आवेदकगण/वादीगण।

### -:: <u>बनाम</u> ::-

- श्रीमती डोमनबाई पित कन्हैयालाल, आयु 65 वर्ष, जाति लोधी, निवासी मोहगांव (धपेरा) तह0 लालबर्रा, जिला बालाघाट।
- 2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर बालाघाट, कलेक्टोरेट कार्यालय बालाघाट, तहसील एवं जिला बालाघाट (म0प्र0)।
- अमीलाल गराड़े पिता स्व0 दादूलाल, उम्र 44 वर्ष,
   जाति लोधी, निवासी भटेरा, तह0—जिला बालाघाट।
- 4. राजेन्द्र लिल्हारे पिता चोवालाल, उम्र 36 वर्ष, जाति लोधी, निवासी खैरी, पोस्ट कुम्हारी, तहसील व जिला बालाघाट।
- शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बालाघाट,
   तहसील एवं जिला बालाघाट (म०प्र०)। ————अनावेदकगण / प्रतिवादीगण

### —::: <u>आदेश</u> :::— (आज दिनांक 31/01/2017 को पारित्र)

- 01— इस आदेश द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का निराकरण किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से इस आदेश में आगे आवेदकगण को वादीगण तथा अनावेदकगण को प्रतिवादीगण से सम्बोधित किया जावेगा।
- 02— आवेदन पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस प्रकरण में पूर्व में वादीगण अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो कि अस्वीकार हो चुका है। इस बात का लाभ उठाते हुए प्रतिवादी क्रमांक—1 ने वादग्रस्त भूमियों की बिक्री कर दी है। प्रतिवादी क्रमांक—1 ने राजस्व अधिकारियों से मिली—भगत कर अवैध रूप से अपने पक्ष में बंटवारा का आदेश करवा लिया है और फिर वादग्रस्त भूमियों को प्रतिवादी क्रमांक—3 व

4 को विक्रय कर दिया है, जबिक अभी भी वादग्रस्त भूमियों वादीगण के कब्जे में है। जिन व्यक्तियों ने वादग्रस्त भूमियों को क्रय किया है वे अब बादीगण को बेदखल करना चाह रहे हैं, जबिक वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का स्वत्व व आधिपत्य है। अतः प्रार्थना की गई है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि इस प्रकरण के न्यायालय में लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियों पर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।

- 93— प्रतिवादी क्रमांक—1 ने अपने जवाब में बताया है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमियों बंटवारा के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक—1 एवं नकटू पिता कोल्ह्या के नाम पर दर्ज है। वादग्रस्त भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक—1 तथा वादीगण के पिता नकटू की पैतृक भूमियाँ रही हैं जिस पर प्रतिवादी क्रमांक—1 शामिल—शरीक स्वामी एवं काबिज रही है। वादग्रस्त भूमियों पर वर्ष 1981 से वादीगण के पिता नकटू तथा प्रतिवादी क्रमांक—1 का नाम दर्ज रहा है। बाद में नकटू ने कूटरचित दस्तावेज निर्मित कर 10 रूपए के स्टाम्प पर प्रतिवादी क्रमांक—1 का फर्जी अंगुटा बनाकर ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा से वादग्रस्त भूमियों पर से प्रतिवादी क्रमांक—1 का नाम सह—खातेदार के रूप में हटवा दिया था तब प्रतिवादी क्रमांक—1 ने ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा दिनांक 5.9.2012 को आदेश पारित करते हुए ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा के आदेश को निरस्त कर दिया गया था और वादग्रस्त भूमियों पर नकटू के साथ प्रतिवादी क्रमांक—1 का नाम सह—स्वामी के रूप में दर्ज किए जाने बाबत आदेश पारित किया था।
- 04— प्रतिवादी क्रमांक—1 ने वादग्रस्त भूमियों में से अपने हिस्से की भूमि को विधिवत् प्रतिवादी क्रमांक—3 व 4 को विक्रय किया है जिस पर प्रतिवादी क्रमांक—3 व 4 वैधानिक रूप से काबिज हैं। अतः प्रार्थना की गई है कि वादीगण का आवेदन पत्र खारिज किया जावे।
- 05— प्रतिवादी क्रमांक—3 व 4 ने अपने जवाब में बताया है कि पूर्व में वादग्रस्त भूमियों का बंटवारा नकटू एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 के बीच में हो चुका था। वादग्रस्त भूमि एकमात्र नकटू एवं वादीगण की नहीं है बिल्क वादग्रस्त भूमियों नकटू एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 की पैतृक सम्पत्ति थी। प्रतिवादी क्रमांक—1 ने बंटवारा में अपने हिस्से की भूमियों को विधिवत् प्रतिवादी क्रमांक—3 व 4 के पक्ष में विक्रय किया है जिनका खसरा नंबर 168/4ख रकबा 0.020 हेक्टेयर, खसरा नंबर 159/1ख रकबा 0.414 हेक्टेयर, खसरा नंबर 187/2ख रकबा 0.145 हेक्टेयर, खसरा नंबर 189/1ख रकबा 0.057 हेक्टेयर कुल रकबा

0.636 हेक्टेयर है तथा क्य दिनांक से प्रतिवादी क्रमांक—3 व 4 उक्त भूमियों पर विधिवत् काबिज हैं। वादी क्रमांक—2 का पुत्र मूलचंद प्रतिवादी क्रमांक—3 व 4 की उक्त भूमियों पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। बादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का कब्जा नहीं है और न ही वादीगण भू—स्वामी हैं। अतः वादीगण के आवेदन पत्र को खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई है।

# 06— आवेदन पत्र के निराकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू हैं:—

- 1— क्या वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है ?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
- उच्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए जाने से वादीगण को अपूर्णीय क्षिति होगी।

### विचारणीय प्रश्न कमांक-1 :-

- मामले में वादग्रस्त भूमियाँ ग्राम पाथरवाड़ा स्थित आराजी खसरा नंबर 07-164 / 4, 192 / 4 रकबा 0.012 हेक्टेयर, खसरा नंबर 168 / 4 रकबा 0.040 हेक्टेयर, खसरा नंबर 169 / 1 रकबा 0.829 हेक्टेयर, खसरा नंबर 189 / 1 रकबा 0.113 हेक्टेयर कुल रकबा 1.285 हेक्टेयर तथा ग्राम खैरी स्थित आराजी खसरा नंबर 282/4 रकबा 0.11 एवं उसमें स्थित मिट्टी का मकान को होना बताया गया है। वादीगण के अनुसार ही उक्त वादग्रस्त भूमियाँ वादीगण के पिता नकटू की पैतृक सम्पत्ति थी। नकटू तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 आपस में सगे भाई बहन हैं। इस तरह वादग्रस्त भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक—1 की भी पैतृक सम्पत्ति थी। वादीगण का यह कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अरसा पूर्व 10 रूपए के स्टाम्प पर यह लिखकर दिया था कि वह उक्त पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है और इस आधार पर ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12. 1999 के अनुसार समस्त वादग्रस्त भूमियों पर से प्रतिवादी कृमांक—1 का नाम हटा दिया गया था और केवल नकटू का नाम दर्ज किया गया था। उसके बाद नकटू ने वादग्रस्त भूमियों को रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 10.3.2013 के अनुसार वादीगण को वसीयत कर दिया था और इस आधार पर कहा गया है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य है।
- 08— दूसरी ओर प्रतिवादी कमांक—1 का कहना है कि वादग्रस्त भूमि उसकी तथा नकटू की पैतृक सम्पत्ति थी। नकटू ने अवैध ढंग से प्रतिवादी कमांक—1 का फर्जी अंगुडा

लगवाकर, फर्जी दस्तावेज तैयार कर ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा में प्रस्तुत किया जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमियों पर से प्रतिवादी कमांक—1 का नाम हटा दिया गया था। इस बात की जब प्रतिवादी कमांक—1 को जानकारी हुई तो उसने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट के समक्ष ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा के आदेश के विरुद्ध अपील की और उसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बालाघाट ने अपील प्रकरण कमांक—21/3—6/2011—12 में आदेश दिनांक 5.9.2012 के अनुसार प्रतिवादी कमांक—1 की अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा का आदेश दिनांक 22.12.1999 अपास्त कर दिया था और वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी कमांक—1 का नाम दर्ज किए जाने हेतु आदेशित किया था। इस संबंध में अभिलेख पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का उक्त आदेश दिनांक 5.9.2012 उपलब्ध है। अभिलेख पर वादग्रस्त भूमियों से संबंधित खसरा वर्ष 1977—78 से 80—81 तथा वर्ष 1982—83 से 85—86 एवं वर्ष 86—87 से 90—91 उपलब्ध है जिससे स्पष्ट है कि उक्त वर्षों में वादग्रस्त भूमियाँ नकटू एवं प्रतिवादी कमांक—1 के नाम पर दर्ज रही है। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियाँ नकटू तथा प्रतिवादी कमांक—1 की पैतृक सम्पत्ति रही है।

- 09— अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश दिनांक 5.9.2012 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों पर जब प्रतिवादी क्रमांक—1 का नाम भी दर्ज हो गया उसके बाद प्रतिवादी क्रमांक—1 ने अपने हिस्से के बंटवारे के लिए तहसीलदार बालाघाट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार बालाघाट के द्वारा आदेश दिनांक 8.4.2013 के अनुसार बंटवारा कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी क्रमांक—1 ने अपने हिस्से की भूमियों को जिएए रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.9.2013 को प्रतिवादी क्रमांक—3 व 4 को विक्रय कर दिया और वर्तमान में उक्त भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक—3 व 4 के नाम पर खसरा वर्ष 2013—14 एवं 2014—15 के अनुसार दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक—3 व 4 का भी कहना है कि उन्होंने प्रतिवादी क्रमांक—1 को बंटवारा के अनुसार हिस्से में प्राप्त भूमियों को विधिवत् क्रय किया है तथा वादग्रस्त भूमियों पर उनका आधिपत्य है जो कि अभिलेख पर उपलब्ध खसरा वर्ष 2013—14, खसरा वर्ष 2014—15 से प्रकट है।
- 10— उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त भूमियों पर एकमात्र वादीगण का स्वत्व नहीं है। वादीगण ने अपना दावा वसीयतनामा दिनांक 10.11.2013 के आधार पर प्रस्तुत किया है। उक्त बसीयतनामा कहाँ तक सही है, यह साक्ष्य का विषय है। वर्तमान में सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमियाँ वादीगण के आधिपत्य में नहीं होना दर्शित है और न ही सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का स्वत्व दर्शित है। ऐसी समस्त परिस्थितियों को विचार में लेने के उपरांत वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं होना पाया जाता है।

### विचारणीय प्रश्न कमांक-2 व 3 :-

- 11— चूंकि वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला ही नहीं पाया गया है। ऐसी दशा में वादीगण के पक्ष में न तो सुविधा का संतुलन है और न ही यह माना जा सकता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए जाने से वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।
- 12— विचारणीय बिन्दु क्रमांक—1 लगायत 3 में आए निष्कर्ष के आधार पर वादीगण का उक्त आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं होगा।

ARTHUR WHOOM BY AND ARTER HINGON PROPERTY AND AND ASSESSED AS A STATE OF THE PARTY AS

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही—
(सुजीत कुमार सिंह)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,
बालाघाट (म.प्र.)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही— (सुजीत कुमार सिंह) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बालाघाट (म.प्र.)